भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

RBA No. 20/2022

No. 2018/AC-II/1/57 09th March 2022

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: - Lower Deduction Certificates issued under Income Tax - Revised EBR-IF Model

Ref: RBA No. 025/2021/ GST Circular No. 020/2021 dated 30th March 2021

Railway Board vide circular under reference above had *inter alia* brought out directives concerning Lower Tax Deduction Certificates ('LTDCs') under Income Tax, wherever applicable, to be obtained by vendors/suppliers in respect of supplies falling under the revised EBR-IF Model. In this regard, IRFC has brought it to the notice of Railway Board that LTDCs are not being sent by Railways (in cases where taxes have been deducted at a lower rate), leading to imposition of penalties on IRFC by tax authorities. Pursuant to beginning of new Financial Year from April 2022, it is hereby directed that in respect of inward supplies under the revised EBR-IF model, all lower tax deduction certificates under Income Tax, wherever applicable, should be obtained by vendors/suppliers in the name and particulars (i.e. PAN/TAN) of IRFC i.e. Indian Railway Finance Corporation and not Indian Railways.

Accordingly, for wherever applicable, requisite correspondences may be made with the vendors/suppliers to obtain lower tax deduction certificates issued by competent authorities in the name of IRFC. The vendors/suppliers may be explicitly informed that non-compliance to the same would result in deduction of income tax (TDS) at the applicable tax rates.

Bill passing authorities may ensure that in absence of LTDC from vendors, tax at the applicable rates as per provisions notified under the Income tax Act, 1961, or rules made thereunder wherever applicable, is deducted instead of tax deduction at a lower rate.

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to: -

1. PFAs, All Zonal Railways and Production Units.
2. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS
3. MD/IRFC and DF/IRFC

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

सं. 2018/एसी-II/1/57

आरबीए सं. 20/2022
नई दिल्ली, दिनांक: 9 मार्च, 2022

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां

विषय : आयकर के अंतर्गत जारी किए गए कम कटौती प्रमाण पत्र - संशोधित ईबीआर-आईएफ मॉडल

संदर्भ : दिनांक 30 मार्च 2021 का आरबीए सं. 025/2021/जीएसटी परिपत्र सं. 020/2021

रेलवे बोर्ड ने उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र के तहत अन्य बातों के साथ-साथ आयकर के अंतर्गत संशोधित ईबीआर-आईएफ मॉडल के अंतर्गत आपूर्ति के संबंध में विक्रेताओं/आपूतकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कम कर कटौती प्रमाण पत्र, जहां कहीं लागू हो, से संबंधित निर्देश जारी किए थे। इस संबंध में, आईआरएफसी ने रेलवे बोर्ड का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि रेलों द्वारा एलटीडीसी नहीं भेजे जा रहे हैं (उन मामलों में जहां कर की कटौती कम दर पर की गई है), परिणामस्वरूप कर प्राधिकारियों द्वारा आईआरएफसी पर दंड लगाया गया है। अप्रैल 2022 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के अनुसार एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संशोधित ईबीआर-आईएफ मॉडल के तहत आवक आपूर्ति के संबंध में आयकर के तहत सभी कम कर कटौती प्रमाण पत्र, जहाँ कहीं लागू हो, भारतीय रेल के नाम पर नहीं बल्कि आईआरएफसी अर्थात् भारतीय रेल वित्त निगम के नाम और विवरण (अर्थात् पैन/टैन) पर प्राप्त किया जाए।

तदनुसार, आईआरएफसी के नाम पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी कम कर कटौती प्रमाण पत्र, जहाँ कहीं लागू हो, प्राप्त करने के लिए विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपेक्षित पत्राचार किया जाए। विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि इसका अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप लागू कर दरों पर आयकर (टीडीएस) की कटौती की जाएगी।

बिल पारित करने वाले प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आयकर अधिनियम, 1961 या इसके तहत बनाए गए नियम जहां-कहीं लागू हों, के अंतर्गत अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार विक्रेताओं से एलटीडीसी न होने पर कम दरों पर कर कटौती के बजाय लागू दरों पर कर कटौती की जाए।

(संजीव शर्मा)
विशेष कार्य अधिकारी/ लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
2. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस
3. प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी और निदेशक वित्त/आईआरएफसी